गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ...105......
दिनांक ..11/1/2023....

राजस्थान सरकार
गृह ग्रुप9 विभाग

क्रमांक प. 35(1) गृह-9/2006 पार्ट

जयपुर दिनांक 04/01/2023

अधिसूचना

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है। जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है एवं जिले से सटी हुई पाकिस्तान बार्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 34 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है एवं जिले में लगने वाली भारत पाक सीमा पर पीएसऔर ई मेलर इन्टरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति विदेशी काल्स/संदेश का प्रयोग कर जन सुरक्षा एवं शांति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत् प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि भारत पाक सीमा के जैसलमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 17156 एवं 17158 दिनांक 12.12.2022 द्वारा लागू किये गये आदेश प्रतिबन्ध की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 17156 एव 17158 दिनांक 12.12.2022 की अवधि एतद्द्वारा आगामी छः माह तक बढाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक
शासन उप सचिव

Sh. Vijay
11/01/23

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर को उनके पत्र आदेश आदेश क्रमांक 17156 एवं 17158 दिनांक 12.12.2022 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर ।
4. उप महानिरीक्षक,सीमा सुरक्षा बल, सेक्टर मुख्यालय, जैसलमेर ।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (सॉफ्ट कॉपी)
7. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]esh Pareek
Designation: Dep[illegible] Secretary
Date: 2023.0[illegible]:57:27 IST
Reason: Appro[illegible]